


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1081)/2018/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 335 दिनांक 17.03.2016 (क्रम संख्या 03 पर अंकित) द्वारा श्रीमती मंजू कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), जे.के. लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत दिनांक 08.04.2018 से 05.10.2018 तक 181 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

  
(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1081)/2018/1104

दिनांक:- 01/06/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, जे0के0 लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा।
2. प्रधानाचार्य, एम.डी. मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग एज्युकेशन, केवशपुरा, कोटा।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर